>

Title:Regarding illegal selling of medicines banned by Indian Government and World Health Organisation (WHO).

श्री रामकिशुन (चन्दौली): उपाध्यक्ष जी, मैंने सुबह भी इस सवाल को उठाना चाहा था। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि अन्य प्रांतों में भी भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिबंधित दवाएं धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। इस वजह से पूरे देश के आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ बच्चों पर भी इन प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग से बुरा असर पड़ रहा है, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी प्रतिबंधित किया हुआ है। ऐसी दवाओं के उपयोग से अभी राजस्थान में 11 महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, किडनी, लीवर में खराबी और कैंसर तथा हार्ट के रोग लोगों को हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन निमेसुलाइड, सीसाप्राइड, फेनाइलप्रोपेनोलेमाइन, सिबुट्रामाइन, ह्यूमन प्लेसेंटल एक्सट्रेक्ट और आर-सिबुट्रामाइन जैसी दर्जनों प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री हो रही है। प्रदेश सरकार इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रही है। इन प्रतिबंधित दवाओं को बनाने वाली कम्पनीज और इन्हें बेचने वाले व्यापारियों की आपसी सांठगांठ से इनकी बिक्री हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा इस पर कार्रवाई न करना दर्शाता है कि सरकारी की भी इसमें मिलीभगत है। अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि इन प्रतिबंधित दवाओं को तुंत बंद किया जाए, जिससे आम नागरिकों को और मासूम बच्चों को बचाया जा सके। यहां पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वह तत्काल इस पर उचित कार्रवाई करें। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।